(1) 24 April PG IV

दृष्टि से विचार करने पर स्पष्ट होता है कि इस प्रकार अमेरिका में अश्वेतों के सामाजिक, राजनीतिक अधिकार अमान्य कर दिये गये थे तथा पति-पत्नी और बच्चों को एक दूसरे से पृथक् कर दिया जाता था, वे श्वेतों की देख-रेख में सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम करते थे। गन्दी बस्तियों में रहते थे तथा अपनी संस्कृति, भाषा एवं धर्म के प्रसार से वंचित थे। इसी प्रकार दक्षिण भारत में हरिजनों तथा अछूतों की स्थिति अंग्रेजों के पूर्व की समाज व्यवस्था से काफी मिलती जुलती थी। वर्बा अहमद तथा भट्ट ने भी दोनों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों पर तुलनात्मक दृष्टि से पर्याप्त प्रकाश डाला है।

अनुसूचित जातियों तथा अन्य दलितों को संगठित करने का सबसे पहले प्रयास ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रारम्भ किया गया था। ईसाई मिशनरियों ने इन लोगों को अपने धर्म में दीक्षित करने का आन्दोलन चलाया, उन्हें अपनी उपाधि दी तथा अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति से उन्हें दीक्षित करने का प्रयास किया। इस प्रकार उनमें एक नयी जागृति आयी तथा उनके जीवन का ढंग परिवर्तित होने लगा। उनको सरकारी नौकरियाँ दी जाने लगीं।

उनके समकालीन जिन लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं किया उन्होंने अपनी एवं धर्मान्तरित लोगों की सामाजिक स्थिति में हुए अन्तर को दृष्टिगत किया। उसी समय राष्ट्रीयतावादी आन्दोलन को चलाये जाने से उन्हें आन्दोलन के लिए प्रेरणा मिली, क्योंकि उसमें भी इस बात पर बल दिया गया था कि भाषा, धर्म एवं जाति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उच्च वर्ग के लोगों द्वारा सुधार आन्दोलन भी चलाया गया जिसमें पिछड़े वर्ग विशेषतः दलित वर्ग के लोगों के कल्याण की बातें भी सन्निहित थीं।

ये आन्दोलन उदारवादी थे इसलिए परम्परागत ब्राह्मणवादी आचार्यवाद के विरुद्ध थे। अन्ततः अंग्रेज सरकार द्वारा दासप्रथा के समाप्त किये जाने वाले तथा विधि एवं शिक्षा के सम्बन्ध में जन सामान्यवादी दृष्टिकोण को अपनाये जाने वाले और प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था पर बल दिये जाने वाले विचारों के उदय से भी बल मिला। इन सभी कारणों ने मिलकर पिछड़े वर्ग के आन्दोलन के जन्म के लिए एक उचित पृष्ठभूमि का निर्माण किया। इसी से मिलती-जुलती स्थिति में अमेरिकी अश्वेतों में जागृति आयी। सर्वप्रथम 1975 में क्वेकर के प्रयासों से पेंलिसवेनिया उन्मूलन समाज की स्थापना हुई, जिससे अश्वेतों में सामाजिक चेतना का उदय हुआ।

यह पहला संगठन था, जिसने दासता विरोधी अभियान आरम्भ किये तथा अश्वेतों के लिए शिक्षा की वकालत की। इस प्रकार औपनिवेशिक अमेरिका में पहली बार अश्वेतों के बीच जागृति आयी। थोड़े समय बाद वारमाण्ट, मेसायूसेट्स तथा पेन्सिलवेनियाँ आदि राज्यों के दासता का उन्मूलन किया। अश्वेतों में अपनी दास प्रस्थिति के विपरीत जागृति आयी तथा 19 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही अनेक अश्वेत आन्दोलन हुए। कुछ प्रमुख आन्दोलन रीचमाण्ड, (1800), क्लेयरस्टोन (1822) तथा साउथैम्पहन्टन (1831) में हुए। सभी अश्वेतों की प्रतिस्थिति दास की नहीं थी। कुछ अश्वेत स्वतन्त्र भी थे, जो 17 वीं. शताब्दी के मध्य अफ्रीका से प्रवासित हुए थे। उनमें से अधिकांशतः अमेरिका के उत्तरी भागों में बसे थे तथा उन्हें श्वेतों के समान अनेक सामाजिक अधिकार प्राप्त थे। उदाहरणार्थ, विश्वविद्यालयों में उनका प्रवेश हो जाता था तथा उनमें से अनेक शिक्षा, पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्रों में कुछ स्थान प्राप्त करते थे। अश्वेतों ने भी अब्राहमलिंकन के नेतृत्व में सिविलवार में भाग लिया था। स्मरणीय है कि 1 जनवरी, 1883 को राष्ट्रपति लिंकन ने

Scanned with CamScanner

मुक्ति घोषणा जारी की और 1 अप्रैल, 1885 को कन्फेडेरेट आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था तथा एक वर्ष बाद 1886 का सिविल राइट्स एक्ट पारित हुआ था, जिसमें अश्वेतों को समान राजनीतिक अधिकार दिये जाने का प्रावधान था।

पिछड़े वर्ग आन्दोलन के विश्लेषण अभिगम के रूप में राव ने तीन प्रकार की वैचारिकीय उन्मुखताओं का उल्लेख किया है–

1. पिछड़े वर्गों की विभिन्न जातियों के लोगों ने अपनी उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपलब्ध मिथकों की पुनर्व्याख्या करके उच्च वर्ग की स्थिति प्राप्त करने में सफलता पायी है। उदाहरणार्थ देश के विभिन्न भागों से आने वाली अहीर, गोड़, गाउंडी तथा गोला जातियों ने अपने को यदुबंशी बताकर अपना सम्बन्ध कृष्णवंशीय क्षत्रिय से जोड़ने का प्रयास किया तथा अखिल भारतीय यादव समूह का निर्माण किया।

2. दूसरी वैचारिकी का सम्बन्ध आत्म निर्णयन के अन्वेषण में हिन्दू धर्म के पुनर्विश्लेषण से है, जिनका नेतृत्व श्री नारायण धर्म प्रतिपालन आन्दोलन ने किया था। 1935 तक केरल की पिछड़ी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाता था। वे उच्च वर्ग के लोगों के लिए अस्पृश्य थे। केरल की जनसंख्या में उनका 26 प्रतिशत प्रतिनिधित्व था, किन्तु वे अनेक धार्मिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। 20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में श्री नारायण गोस्वामी नामक एक चमत्कारी नेता ने एक नया धर्म चलाया, जिसने उनके जीवन के दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने धार्मिक संस्थाओं की एक शृंखला बनायी जो ब्राह्मणवादी हिन्दुत्व के समानान्तर थी। इस प्रकार यद्यपि इम्काव जाति के लोग जन्मना ऊँची जाति के नहीं थे, फिर भी ऊँची जाति के लोगों की सेवाएँ प्राप्त करने लगे।

इस प्रकार संघर्षात्मक वैचारिकी के द्वारा वे आत्मसम्मान प्राप्त करने में सफल हुए। दूसरे प्रकार की विरोधी वैचारिकी का उदाहरण तमिलनाडु में चलाया जाने वाला दविण्डा कण्ज्वगम आन्दोलन है, जिसमें द्रविड़ संस्कृति एवं धर्म को आदर्श मानकर आर्य संस्कृति एवं धर्म का प्रतिकार किया गया है। द्रविड़ कडगम आन्दोलन के सूत्रधारों की दृष्टि में राम की तुलना में रावण पूज्य रहा है। राम स्वामी नायक के द्वारा चलाये जाने वाले सेल्फ रेस्पेक्ट आन्दोलन में इस बात पर बल दिया गया था कि उनके अनुयायियों के अपने पुरोहित होने चाहिए। निम्न वर्ग एवं जाति के लोगों का इस वर्ग के लोगों को काफी समर्थन मिला। इसी प्रकार अम्बेडकर के नेतृत्व में महर आन्दोलन में भी हिन्दू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का आवाहन किया था। अम्बेडकर ने स्वयं हिन्दू एवं बौद्ध धर्म सम्बन्धी अपनी वैचारिकी विरोधाभास का समाधान बौद्ध धर्म को स्वीकार करके किया। इस प्रकार अन्ततः उन्होंने जाति व्यवस्था का प्रतिकार किया था।

3. तृतीयतः, वर्ग संघर्ष की वैचारिकी आती है जो शोषण के शिकार लोगों को शोषित वर्ग के रूप में एक पृथक् अभिज्ञान प्रदान करती है। बम्बई तथा पुणे में दलित पैंथर नाम से ख्यात आन्दोलन इस श्रेणी में आता है। सामाजिक भेद-भाव एवं विषमता जनित नगरीय युवाजनों के आक्रोश एवं नैराश्य इसके मुख्य आधार थे। हिन्दू जाति व्यवस्था का मूलोच्छेद करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। उनका विश्वास सर्वतोमुखी क्रान्ति में था।

अंग्रेजी शासनकाल के अन्तिम वर्षों में मैसूर (अब कर्नाटक) राज्य में ब्राह्मणेतर जातियों द्वारा चलाये गये आन्दोलन का विश्लेषण भट्ट ने विद्यमान सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया है। आन्दोलन के आरम्भ में ब्राह्मणेतर जातियों के विरुद्ध भेद-भाव का

Scanned with CamScanner

आरोप लगाया गया था। मैसूर के राजा ने सर लेस्ली मिलर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु राजाज्ञा प्रसारित की गयी थी।

कर्नाटक में बदर जाति के लोगों में होने वाले सामाजिक आन्दोलन अन्य सामाजिक आन्दोलन से पृथक् हैं। हाल तक वदर जाति एक घुमक्कड़ जनजाति के रूप में मानी जाती रही है। इसलिए उनका स्तरीकरण एक महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करता है। एक इथनिक (नृवंशीय) समूह के रूप में अभिज्ञान प्राप्त करने तथा सामुदायिक जीवन में प्रवेश पाने एवं एक नयी समाज-व्यवस्था के अंग के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण सामाजिक आन्दोलन को सम्बल मिला। एक घुमक्कड़ जनजाति के रूप में उनका अस्तित्व समाज व्यवस्था की परिधि में अन्तिम छोर पर स्थित था, किन्तु निवास के स्थायित्व के साथ उनमें एथनिक अभिज्ञान उत्पन्न हुआ।

स्थायी निवास की प्रक्रिया की समाप्ति समुदाय में बस जाने मात्र से नहीं हुई, अपितु इससे एक नयी प्रक्रिया आरम्भ होती है। अपने चतुर्दिक स्थित समुदाय के बीच अन्तरक्रिया तथा सघन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सम्बल विकसित करने के प्रयास आरम्भ हुए। इस प्रक्रिया की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सामुदायिक जीवन में किस सीमा तक उनका अन्तः प्रवेश हो जाता है। स्थानीय समाज-व्यवस्था में इस नवागत समूह को अपना अभिज्ञान स्थापित करना होता है तथा अपने लिए स्थान बनाना पड़ता है। नये समूह सन्दर्भित समाज व्यवस्था में एक इकाई के रूप में अपने अभिज्ञान की स्थापना करते हैं तथा अपनी स्थिति को स्तरीकृत करते हैं। वदर जनजाति के लोगों को स्थानीय जाति व्यवस्था में अपने पद एवं स्थिति का निर्धारण करना पड़ा था। कालान्तर में वे स्थानीय समुदाय के अंग हो गये तथा उनकी प्रस्थिति प्रारम्भ में हरिजन के रूप में कायम हुई।

भट्ट ने उनकी नौ उपजातियों का उल्लेख किया है, जिनमें पत्थर तोड़ने वाले (कल्लू यादव), भूमि पर काम करने वाले (चन्नु वादर), नमक व्यापार (पूजू वादर), झगड़वान (वदी वादर) तथा गिरनी वादर आदि प्रमुख हैं।

धीरे-धीरे उनमें शिक्षा के प्रति झुकाव हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि समाज में उनकी निम्न स्थिति एवं तुलनात्मक अभावबोध, उनके जातिगत आवरणों के फलस्वरूप है। अपेक्षाकृत पढ़े-लिखे लोगों ने अपनी जाति की स्थिति सुधारने में काफी सहायता की। उनमें नयी चेतना आयी तथा उन्होंने अनेक रूढ़िवादी प्रथाओं का परित्याग किया। अन्य जातियों की भाँति उन्होंने भी नाई, धोबी तथा ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा लेनी प्रारम्भ की। 1940 (दशक) के प्रारम्भ में चित्र दुर्ग में जिला वदर संघ की स्थापना की गयी तथा 1942 में कोलारे डिस्ट्रिक एवं वदर संघ की स्थापना हुई। दोनों संगठनों ने गुट्टमडुकु में वदर समुदाय के सम्मेलन का आयोजन किया, जिनमें कर्नाटक के अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के वदर लोगों ने भी भाग लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वदर समुदाय के उत्थान के लिए सारे समुदाय को एकजुट करना था। सम्मेलन ने यह भी अनुभव किया कि उनके नाम को परिवर्तित किये जाने की आवश्यकता है। 1944 में देवगिरि में हुए वदर सम्मेलन में नये नामकरण पर विचार किया गया, क्योंकि हरिजनों द्वारा कर्नाटक आदि द्रविड़ एवं चेलवादी नाम रखे जाने का उदाहरण उन्हें ज्ञात था। उक्त सम्मेलन में अनेक नाम सुझाये रखे जैसे बंदेय, राजू इत्यादि। किन्तु अन्ततः धोबी नाम पर सहमति हुई, क्योंकि उनका विश्वास था कि महाभारत में यह शब्द उल्लिखित है।

Scanned with CamScanner

ऊपर वर्णित आंदोलनों की उत्पत्ति, प्रकृति एवं उपलब्धियों को देखने से स्पष्ट होता है कि कुछेक अपवादों को छोड़कर जैसे ब्रिटेन में चलाया गया अनुदारवादी आन्दोलन या आयातुल्ला खुमैनी द्वारा चलाया जाने वाला इस्लामीकरण आन्दोलन एवं परिवर्तन आनुषंगिक (घटनाएँ) हैं। यह प्रश्न दूसरा है कि संदर्भित आन्दोलन के इच्छित प्रभाव की व्यापकता, तीव्रता तथा उसका प्रसार कितना रहा है। उदाहरणार्थ दक्षिण भारत में पिछड़ी जातियों के बीच हुए आन्दोलनों से सम्बन्धित तथ्यों पर ध्यान देने से स्पष्ट होता है कि वस्तुतः वहाँ आन्दोलन की अवधारणा ट्यूटोलाजिकल हो जाती है। उदाहरण के लिए यह मात्र ऐतिहासिक संयोग की बात नहीं है कि पिछड़ी जातियों से सम्बन्धित आन्दोलन अधिकांशतः दक्षिण भारत में हुए हैं।

मुख्यतः इन आन्दोलनों की प्रवृत्ति ब्राह्मण विरोधी रही है तथापि ये आन्दोलन सफल नहीं होते यदि उनसे सम्बन्धित दो कारणों का ताकालिक निदान नहीं पाया गया होता। प्रथमतः ब्राह्मण सत्ता एवं सम्मान की दृष्टि से अन्य सभी जातियों से श्रेष्ठ थे तथा जनसंख्या में स्थान की दृष्टि से उनकी स्थिति अभेद्य नहीं थी। द्वितीयतः अंग्रेज सरकार की दृष्टि में ब्राह्मण जाति अविश्वसनीय होती जा रही थी क्योंकि ये लोग स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लेने लगे थे। इसी प्रकार निम्न जातियों के बीच शिक्षा के प्रसार से भी उनमें जागृति आयी थी तथा वे ब्राह्मणों की प्रस्थिति से बसबरी करना चाहते थे। 1885-1970 के बीच मद्रास प्रेसीडेन्सी कुल स्नातकों का 11 प्रतिशत ब्राह्मण वर्ग में उत्पन्न हुआ था, जबकि उनकी जनसंख्या केवल 3 प्रतिशत थी। 1913 से मद्रास में सरकारी सेवा में लगे कुल 478 हिन्दुओं में से 350 ब्राह्मण जाति के थे।

स्मरणीय है कि मैसूर के महाराजा को भी ऐसे माँग पत्र दिये गये, जिनमें निम्न जातियों के साथ भेदभाव की बात कही गयी थी तथा इसके आधार पर ब्राह्मणेतर जाति के लोगों को सरकारी नौकरियाँ दी जाने की व्यवस्था की गयी थी। इसी प्रकार बम्बई सरकार ने 1925 में ब्राह्मण, प्रभु, मारवाड़ी, पारसी, बनियाँ तथा ईसाई को छोड़कर अन्य जातियों को पिछड़ी जाति घोषित किया था तथा उनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गयी थी। बम्बई सरकार द्वारा 1930 में स्थापित स्टार्ट कमेटी ने पिछड़ी जातियों को 3 भागों में बाँटा था– (1) दलित वर्ग (अस्पृश्य जातियाँ) (2) आदिवासी एवं जंगली जाति तथा (3) अन्य पिछड़ी जातियाँ।

संयुक्त प्रांत में इण्डियन फ्रेंचाइज समिति की बैठक में फैजाबाद के उपसमाहर्त्ता ने संस्तुति भी की थी कि दलित वर्ग में अस्पृश्यों तथा पिछड़ी जाति के लोगों को गिना जाय। उसके अनुसार दलित वर्ग में कायस्थों को छोड़कर सारे शूद्र आते थे। यूनाइटेड प्रोविन्सेस हिन्दू बैकवर्ड क्लासेस लीग ने 115 पिछड़ी जातियों की सूची प्रस्तुत की थी, जिसमें सभी जातियाँ अद्विज थीं। मद्रास प्रोविंसियल बम्बई क्लासेस ने 1934 में सरकार की एक सूची प्रस्तुत की थी, जिसमें दो तिहाई जनसंख्या ब्राह्मणेतर थी। इस प्रकार कालान्तर में विभिन्न निम्न जातियों के लिए 'अन्य पिछड़ी जातियाँ' शब्दावली का प्रयोग होने लगा।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद समानता तथा न्याय के आदर्श से अनुप्राणित संविधान ने सरकारों को अधिकार दिया कि सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जाति के लोगों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की जाँय। वस्तुतः नेतृत्व वर्ग के इस निर्णय में आदर्शवाद एवं ग्रामीण समाज का

Scanned with CamScanner

अपर्याप्त बोध झलकता है। दक्षिण के राज्यों में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि अन्य पिछड़ी जाति के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं एवं व्यावसायिक संस्थाओं में विशेष सुविधा दी जाय। जैसा कि ज्ञात है मैसूर की लिंगायत तथा केरल की इझाव जैसी प्रमुख जातियाँ पिछड़ी जातियों में गिनी जाने लगी थीं तथा उनके लिए 25 प्रतिशत नौकरियाँ आरक्षित कर दी गयी थीं। सत्तनाथन कमीशन ने 1970 में सुरक्षित स्थानों को 31 प्रतिशत करने की संस्तुति की, जिसे बाद में 50 प्रतिशत कर दिया गया। सरकार के इस प्रकार के हस्तक्षेप से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी प्रवृत्ति विशेषतः ब्राह्मण जाति के लोगों को उच्च शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों से पृथक् करने की है। न्यायालयों का ध्यान इस विसंगतिपूर्ण सुरक्षात्मक भेदभाव की ओर जाना आरम्भ हुआ है, किन्तु उन्हें नहीं के बराबर सफ़लता मिली है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1966 में 112 अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण निर्धारित किया था, जिसे वहाँ के उच्च न्यायालय ने इस आधार पर अमान्य कर दिया था कि सरकार उन जातियों के सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रमाण नहीं दे सकती। इसी प्रकार छटवें दशक तथा 1961 में नगन्न गोबड़ा समिति की संस्तुति पर निर्गत राजाज्ञा को उच्चतम न्यायालय ने बाला जी केस में अवैध घोषिक कर दिया था। किन्तु अन्ततः देवराज अर्स की सरकार ने लिंगायत वन्ट एवं ब्राह्मणों को छोड़ समस्त जातियों को 'पिछड़ी जाति' की सूची में रखकर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी।

11.3 मण्डल आयोग की रिपोर्ट एवं पिछड़ा वर्ग आन्दोलन (Mandal Commission Report and Backward Class Movement)

Scanned with CamScanner